



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261127
CG-DL-E-18022025-261127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946

No. 840]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17, फरवरी, 2025

का.आ. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्कि गुजरात राज्य के भरुच जिले में NH48 के कि.मी. 193.780 से कि.मी. 210.128 तक के भू-खण्ड के अतिरिक्त संरचना / पुलों का निर्माण (चौड़ीकरण / छह लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी, अंकलेश्वर, J2H4+558, पुराना NH-8 भरुच रोड, GIDC रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, रेलवे स्टेशन के पास, गोल्डन ट्रेड सेंटर के पास, GIDC, अंकलेश्वर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उस के आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले के अंकलेश्वर तालुका के अंतर्गत NH48 के कि.मी. 193.780 से कि.मी. 210.128 के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जन की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: भरुच		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अंकलेश्वर					
गांव का नाम: कांसीया					
1	501	निजी	कृषि	0.0532 (हेक्टेयर)	0.0532
2	511	सरकारी	नदी	0.0395 (हेक्टेयर)	0.0395
3	Road	सरकारी	सड़क	1.3623 (हेक्टेयर)	1.3623
गांव का नाम: मांडवाबुजर्ग					
4	406	निजी	कृषि	0.1798 (हेक्टेयर)	0.1798
5	407	निजी	कृषि	0.1701 (हेक्टेयर)	0.1701
6	408	निजी	कृषि	0.215 (हेक्टेयर)	0.215
7	409	निजी	कृषि	0.356 (हेक्टेयर)	0.356
8	410	निजी	कृषि	0.2174 (हेक्टेयर)	0.2174
9	411	निजी	कृषि	0.2067 (हेक्टेयर)	0.2067
10	412	निजी	कृषि	0.1928 (हेक्टेयर)	0.1928
11	413	निजी	कृषि	0.1709 (हेक्टेयर)	0.1709
12	414	निजी	कृषि	0.0068 (हेक्टेयर)	0.0068
13	River	सरकारी	नदी	0.0727 (हेक्टेयर)	0.0727
Total					3.2432

[फा. सं. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 844(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction of additional structure / bridges (widening / six lanning etc), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 193.780 to Km. 210.128 in the district of Bharuch in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Prant Officer, Ankleshwar, J2H4+558, Old NH-8 Bharuch Road, GIDC Road, Near Railway Crossing, Near Railway Station, Near Golden Trade Center, Ankleshwar GIDC, Ankleshwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH48 in the stretch of land from Km. 193.780 to Km. 210.128 in the Taluka of Ankleshwar, District of BHARUCH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: BHARUCH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ankleshwar					
Village: Kansiya					
1	501	Private	Agriculture	0.0532 (Hectare)	0.0532
2	511	Government	River	0.0395 (Hectare)	0.0395
3	Road	Government	Road	1.3623 (Hectare)	1.3623
Village: Mandvabuzarg					
4	406	Private	Agriculture	0.1798 (Hectare)	0.1798
5	407	Private	Agriculture	0.1701 (Hectare)	0.1701
6	408	Private	Agriculture	0.215 (Hectare)	0.215
7	409	Private	Agriculture	0.356 (Hectare)	0.356
8	410	Private	Agriculture	0.2174 (Hectare)	0.2174
9	411	Private	Agriculture	0.2067 (Hectare)	0.2067
10	412	Private	Agriculture	0.1928 (Hectare)	0.1928
11	413	Private	Agriculture	0.1709 (Hectare)	0.1709
12	414	Private	Agriculture	0.0068 (Hectare)	0.0068
13	River	Government	River	0.0727 (Hectare)	0.0727
Total					3.2432

[F. No. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A]
ABHAY JAIN, Director